पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या– 10923/2023

==

शैलेन्द्र कुमार, पिता– श्री उमाकान्त झा, निवासी ग्राम महथवार, पोस्ट– पाली, थाना– घनश्यामपुर, जिला– दरभंगा, वर्तमान में ग्राम पंचायत राज, घनश्यामपुर, प्रखण्ड–घनश्यामपुर, जिला दरभंगा के मुखिया।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिलाधिकारी, दरभंगा, जिला–दरभंगा।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा, जिला–दरभंगा।
6. उप विकास आयुक्त, दरभंगा, जिला–दरभंगा।
7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा।
8. प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा।

... ... प्रतिवादी/ओं

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री एसबीके मंगलम, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए : श्री सत्य व्रत, एसी से जीए–10

==

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006–धारा 2 (एसी), 11(1), 127–राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने के लिए रिट याचिका कि 1991 की जनगणना के आधार पर निर्धारित 3000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को इसके निकटवर्ती ग्राम पंचायत में विलय कर दिया जाएगा जबकि 3000 या अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत इकाई के रूप में बरकरार रखा जाएगा–याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि वर्ष 2011 में हुई अंतिम जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में हैं। इसके बावजूद, 1991 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग एक गांव को ग्राम पंचायत में रहने देने के प्रयोजनों के लिए किया गया है–प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किया गया कि पूरे राज्य में तर्कसंगतता बनाए रखने के लिए, 1991 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखा गया था न कि 2001 की जनगणना और/या 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को। तर्क यह है कि यदि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए 2001 या 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखा गया होता, तो राज्य में लगभग सभी ग्राम पंचायतों को नए सिरे से पुनर्गठित करना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप अव्यवस्थित स्थिति उत्पन्न होती। निर्णय: प्रतिवादियों ने 1991 की जनगणना की जनसंख्या को ध्यान में रखने का सही निर्णय लिया, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन वर्ष 1993–94 में किया गया था। यदि 2011 की जनगणना को ध्यान में रखा जाता, तो राज्य में सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होता, जिससे अव्यवस्थित स्थिति उत्पन्न होती। रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों की ओर से किसी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है, क्योंकि विवादित अधिसूचना पूरे राज्य पर लागू है। रिट खारिज। (**पैरा– 12, 24, 25, 32, 35**)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

= =

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय
सीएवी निर्णय
दिनांक: 24.07.2024

पक्षों को सुना।

(ए) प्रार्थना:

2. वर्तमान रिट याचिका को निम्नलिखित राहत/राहतें प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है:–

"(i) प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर से जारी और उसके ज्ञापन संख्या 758 दिनांक 03.02.2021 में निहित दिनांक 03.02.2021 के सरकारी संकल्प के एक हिस्से को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है, जिसका कुछ क्षेत्र शहरी स्थानीय निकायों में शामिल किया गया है, बशर्ते कि ग्राम पंचायत के शेष क्षेत्र की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3,000 या उससे अधिक हो;

(ii) यह घोषणा कि चूंकि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (जिसे आगे ग्राम पंचायत अधिनियम कहा जाएगा) की धारा–2 (एसी) के अनुसार जनसंख्या का अर्थ पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं तथा अंतिम जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, 2011 की जनगणना है, इसलिए राज्य सरकार आक्षेपित अधिसूचना की कंडिका संख्या 3 (1) में निहित निर्देश के प्रयोजनों के लिए 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकती है;

(iii) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 15.07.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए और उसके ज्ञापन संख्या 2634 दिनांक 15.07.2023 में निहित है, जिसके द्वारा और जहां के तहत प्रतिवादी संख्या 4 ने ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत प्रतिवादी संख्या 4 के मसौदा प्रकाशन के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर 13.07.2023 की आपत्ति को खारिज करने की कृपा की है, उसके ज्ञापन संख्या 2392 दिनांक 30.06.2023 के तहत जिसके द्वारा और जहां के तहत उन्होंने ग्राम पंचायत राज, लगमा में महथवार गांव के विलय का प्रस्ताव दिया था, जो पहले ग्राम पंचायत राज, घनश्यामपुर का एक हिस्सा था, इस आधार पर कि यदि 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य सरकार के दिनांक 03.02.2021 के संकल्प के मद्देनजर, महथवार गांव की कुल जनसंख्या 4523 है ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा

> *2 (एसी) के तहत निहित प्रावधानों के साथ पढ़ें क्योंकि 2011 की जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार महथवार गांव की जनसंख्या 3,000 से बहुत अधिक है, प्रतिवादी संख्या 4 महथवार गांव को अपने नए नाम यानी ग्राम पंचायत राज, महथवार से ग्राम पंचायत के रूप में रहने की अनुमति देने के लिए बाध्य है और इसलिए, इस गांव को उनके द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत राज, लगमा में शामिल नहीं किया जा सकता है;*
>
> *(iv) परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 4 को ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 11 (i) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दरभंगा जिले के घनश्यामपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज, महथवार के नाम से एक ग्राम पंचायत का गठन करने का आदेश और निर्देश दिया जाए और याचिकाकर्ता को उक्त ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए, जिसे आम पंचायत चुनाव, 2021 में इस रूप में चुना गया था;*
>
> *(v) किसी अन्य उपयुक्त रिट/रिट आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने के लिए जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत हकदार पाया जाएगा।"*

(बी) <u>याचिकाकर्ता का मामला</u>:

3. 17.06.2022 से पहले, ग्राम पंचायत राज, घनश्यामपुर अस्तित्व में था और 4,523 की कुल आबादी वाला गाँव– महथवार इसका हिस्सा था।

4. राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत घनश्यामपुर के तीन राजस्व गांवों को नगर पंचायत,घनश्यामपुर,घनश्यामपुर थाना नं.395, छीट बुढ़ेव थाना नं.394 एवं फकीरना थाना नं.396 में शामिल करने के लिए दिनांक 05.01.2022 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की।

5. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के लिए) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, राज्य सरकार द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना दिनांक 05.01.2022 के अनुसार, आपत्तियां दर्ज की गईं।

6. हालाँकि, तर्क यह है कि आपत्तियों को राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत राज, घनश्याम के उपरोक्त तीन राजस्व गांवों को नगर पंचायत, घनश्यामपुर में शामिल करने के लिए ज्ञापन संख्या– 1635, दिनांक 17.06.2022 द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी की गई।

7. याचिकाकर्ता ने पहले एक रिट आवेदन (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9452/2022) दायर करके इसे चुनौती दी थी। इसे 07.08.2022 को स्वीकार किया गया और वर्तमान में लंबित है।

8. इससे पहले, कुछ ग्राम पंचायतों के अस्तित्व का मुद्दा, जिनके कुछ हिस्सों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय कर दिया गया है, राज्य सरकार के विचाराधीन था और उचित विचार के बाद, यह ज्ञापन संख्या में निहित एक अधिसूचना के साथ सामने आया। 758 दिनांक 03.02.2021 प्रतिवादी क्रमांक 2

के हस्ताक्षर से जारी किया गया जिसके तहत और जिसके तहत एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के उन गांवों को ग्राम पंचायत के रूप में बनाए रखने की अनुमति दी गई जहां एक ग्राम पंचायत के शेष गांवों की आबादी 3,000 से अधिक है। हालाँकि, उक्त संकल्प में यह भी उल्लेख किया गया था कि ग्राम पंचायत के शेष ग्रामों की कुल जनसंख्या 1991 की जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 3,000 से कम नहीं होगी।

9. याचिकाकर्ता का मामला यह भी है कि याचिकाकर्ता की ग्राम पंचायत के तीन राजस्व गांवों को शामिल किए जाने के बाद, चूंकि गांव–महाथवार की कुल जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 3,000 से कम हो गई थी, इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 ने गांव–महाथवार को ग्राम पंचायत राज, लगमा में विलय करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया था और इस प्रकार ज्ञापन संख्या 2392 दिनांक 30.06.2023 के तहत गांव में रहने वाले लोगों से उक्त प्रस्ताव के खिलाफ आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।

10. चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी संकल्प दिनांक 03.12.2021 में 1991 की जनगणना पर भरोसा किया गया था और प्रतिवादी संख्या 4 की मसौदा अधिसूचना भी उनके ज्ञापन संख्या 2392 दिनांक 30.06.2023 में शामिल थी, याचिकाकर्ता के अनुसार, यह इसके विपरीत है के अंतर्गत निहित प्रावधान **धारा 2(ए)** ग्राम पंचायत अधिनियम (अब से संक्षेप में 'अधिनियम' के लिए)। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए प्रतिवादी संख्या 4, जिला दंडाधिकारी, दरभंगा के समक्ष विस्तृत आवेदन दायर किया। इससे संबंधित प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसकी सूचना ज्ञापन संख्या 2634 दिनांक 15.07.2023 द्वारा दी गई।

11. विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय को 'अधिनियम' की धारा 2 (एसी) तक ले गए जो शब्द को परिभाषित करता है **"जनसंख्या"** पिछली पिछली जनगणना के अनुसार सुनिश्चित की गई जनसंख्या को शामिल करने के लिए, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।

12. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि वर्ष 2011 में हुई पिछली जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में हैं। इसके बावजूद, 1991 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किसी गांव को ग्राम पंचायत में बने रहने देने के उद्देश्य से किया गया है। यह 'अधिनियम' की धारा 2 (एसी) का उल्लंघन है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ये सभी मुद्दे प्रतिवादी संख्या–4 के समक्ष प्रस्तुत कि गए थे । हालाँकि, दिनांक 02.03.2021 के सरकारी संकल्प, विशेष रूप से पैराग्राफ 3(1) को ध्यान में रखते हुए इसे खारिज कर दिया गया, जिससे उन्हें रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका कहना है कि यदि 2011 की जनगणना की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाए, तो महतवार गांव को ग्राम पंचायत राज, लगमा में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में उनका अनुरोध है कि इसे रद्द कर दिया जाए।

(सी) <u>प्रतिवादी संख्या–4 से 7 का मामला</u>

14. राज्य के उत्तरदाताओं का मामला यह है/हैं कि:

ए) नगर पंचायत, घनश्यामपुर के गठन हेतु:

(i) ज्ञापन संख्या– 4262 दिनांक 26.12.2020 के तहत एक मसौदा अधिसूचना पहले ही अधिसूचित की गई थी और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इसे ज्ञापन संख्या–101 दिनांक 03.03.2021 के तहत गठित किया गया था;

(ii) इसके अतिरिक्त, उक्त नगर पंचायत में अन्य तीन गांवों को शामिल करने के लिए ज्ञापन

संख्या–67, दिनांक 05.01.2022 द्वारा अधिसूचना जारी की गई;

(iii) तदनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, नगर पंचायत, घनशयामपुर का गठन अधिसूचना संख्या– 1635 दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से किया गया है।

15. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या– 9452/2022 को प्राथमिकता दी, जिस पर सुनवाई की गई और सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया तथा यह वर्तमान में लंबित है।

16. आगे तर्क यह है कि पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने पत्र संख्या 3025 दिनांक 15.03.2023 के माध्यम से मौजूदा ग्राम पंचायत की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है, जिसका हिस्सा नगर पंचायत में विलय हो गया है ताकि शेष गांवो को अन्य ग्राम पंचायत में विलय किया जा सके। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 4, जिला दंडाधिकारी, दरभंगा ने कार्यालय पत्र संख्या 1525 दिनांक 17.04.2023 के माध्यम से राज्य सरकार से निर्देश मांगा।

17. इसके आलोक में निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने पत्रांक 5674 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा संकल्प संख्या– 758 दिनांक 03.02.2021 के अनुरूप कार्य करने का निर्देश जारी किया है।

18. इस प्रकार अधिसूचना संख्या 758 दिनांक 03.02.2021 (रिट याचिका के अनुलग्नक–पी/3) को ध्यान में रखते हुए और यह पाते हुए कि 1991 की जनगणना के अनुसार **महथवार** गांव की जनसंख्या 3000 से कम है, प्रतिवादी संख्या 4, जिला दंडाधिकारी, दरभंगा ने ज्ञापन संख्या 2392 दिनांक 30.06.2023 (रिट याचिका के अनुलग्नक–पी/4) के तहत **महथवार** गांव के क्षेत्र और जनसंख्या को ग्राम पंचायत राज **लगमा** में विलय करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया है।

19. इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति/अभ्यावेदन पर विचार किया गया और प्रतिवादी सं. 4, जिला दंडाधिकारी, दरभंगा ने उचित अवसर प्रदान करने के बाद, ज्ञापन संख्या–2634 दिनांक 15.07.2023 (रिट याचिका का परिशिष्ट– पी/6) में निहित एक तर्कसंगत आदेश पारित किया। । इस तथ्य पर गौर किया गया कि तीन गांवों को नगर पंचायत घनश्यामपुर में शामिल किए जाने के बाद 1991 की जनगणना के अनुसार महथवार गांव की जनसंख्या 3000 से कम हो गई और इस प्रकार सरकारी संकल्प/अधिसूचना संख्या 758 दिनांक 03.02.2021 के अनुसरण में इसे ग्राम पंचायत लगमा में शामिल किया गया।

20. उपरोक्त उत्तरदाताओं द्वारा एक पूरक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है।

21. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान 'अधिनियम' की धारा 127 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है जो इस प्रकार है:

> *"धारा 127: जनगणना के बाद निर्वाचित सदस्यों का निर्धारण – प्रत्येक जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन पर, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा उस जनगणना में निर्धारित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी:*
>
> *परन्तु यह कि पूर्वोक्त संख्या का निर्धारण, उस समय पद पर आसीन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति तक पंचायत इकाई की तत्कालीन संरचना को प्रभावित नहीं करेगा;*
>
> ***परन्तु यह भी कि इस अधिनियम में निहित किसी अन्य***

प्रावधान के होते हुए भी, वर्ष 2021 में की गई जनगणना के लिए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक, सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह 2011 की जनगणना में निर्धारित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनः निर्धारण करे।"

22. विद्वान राज्य अधिवक्ता का कहना है कि दूसरे प्रावधान के आलोक में, सरकार ने 2021 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक वर्तमान ग्राम पंचायतों और वार्डों के सामान्य परिसीमन को प्रभावित नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य सरकार फिलहाल प्रदेश में नई ग्राम पंचायतें बनाने की इच्छुक नहीं है।

23. आगे प्रस्तुतीकरण यह है कि ग्राम पंचायतें और उनके वार्ड 1991 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1993–94 में बनाए गए थे। वर्ष 1993–94 में गठित ग्राम पंचायत के कुछ भाग को नव निर्मित शहरी स्थानीय निकायों में विलय कर दिए जाने के कारण एक विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई थी तथा ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए मानक जनसंख्या (7000) काफी कम हो गई थी, क्योंकि ग्राम पंचायत से कुछ क्षेत्र को बाहर कर दिया गया था, अतः प्रभावित पंचायत के अस्तित्व के संबंध में सरकार के एक विशेष आदेश द्वारा इस मुद्दे का समाधान किया जाना था।

24. उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही सरकार ने अपने विवेक से यह निर्णय लिया कि 1991 की जनगणना के आधार पर निर्धारित 3000 से कम आबादी वाली प्रभावित ग्राम पंचायतों को उसके निकटवर्ती ग्राम पंचायत में विलय कर दिया जाएगा, जबकि 3000 या अधिक आबादी वाली प्रभावित ग्राम पंचायतों को उसके निकटवर्ती ग्राम पंचायत में विलय कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत इकाई के रूप में बरकरार रखा गया।

25. उत्तरदाताओं का आगे का रुख यह है कि पूरे राज्य में तर्कसंगतता बनाए रखने के लिए 1991 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखा गया था, न कि 2001 की जनगणना और/या 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को। तर्क यह है कि यदि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए 2001 या 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखा गया होगा, तो राज्य की लगभग सभी ग्राम पंचायतों को नए सिरे से पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप एक अराजक स्थिति पैदा होगी जो हार जाएगी। 'अधिनियम' की धारा 127 की मूल भावना।

26. राज्य–प्रतिवादी का तर्क यह है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में, रिट याचिका खारिज करने योग्य है।

(डी) **<u>निष्कर्ष</u>:**

27. याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय सर्वप्रथम अधिसूचना संख्या 758 दिनांक 03.02.2021 पर ध्यान देता है, जो इस प्रकार है:–

बिहार सरकार

<u>पंचायती राज विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

संचिका सं0 – 8 प/वि–5–19/2020/पं0 रा0/758/ पटना, दिनांक 03/2/2021

विषय:– **ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकरण के संबंध में**

राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ अंष को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गयी है।

2. ग्राम पंचायतों के गठन/ पुनर्गठन एवं उसकी वैधिकता/औचित्य के बिन्दु पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के उप नियम (1) एवं (2) में प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के वैधानिक आदेश संख्या– 5608 दिनांक 15.10.1993 में ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों को आंशिक रूप से नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई निम्नरूपेण की जाएगीः–

(1) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रह जाएगी और उनका मुख्यालय ग्राम, ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही बचा होगा, तो अवशिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र को पूर्व नाम के साथ ग्राम पंचायत के रूप में बने रहने दिया जाएगा। अगर नगर निकाय क्षेत्र में उक्त ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम भी समाहित हो गया है, तो पुनर्गठित ग्राम पंचायत के लिए मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र का नामकरण वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक 15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(2) जहॉ नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1991 की जनसंख्या के आधार पर 3000 से कम रह जाएगी, वहॉ उस क्षेत्र को समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में शामिल कर पूर्व ग्राम पंचायत का अस्तित्व सामप्त कर दिया जाएगा तथा आवष्यकता होने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत का पुनर्गठन/नामकरण वैधानिक आदेष संख्या– 5608 दिनांक 15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत एवं इसके प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में किसी संभावित परिवर्तन के संबंध में राज्य विधि विभाग के परामर्ष से अलग से निर्देष जारी कर सकेगी।

आदेश:– आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधरण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।

ह0
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

28. उक्त अधिसूचना के खंड 3(2) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार 3000 से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को उसके निकटवर्ती ग्राम पंचायत में विलय कर दिया जाएगा।

29. यह न्यायालय आगे **'अधिनियम' की धारा 11 (1)** के प्रावधानों को शामिल करना चाहेगा

जो इस प्रकार है:–

"ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा – (1) सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन, जिला दंडाधिकारी जिला राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र को, जिसमें कोई गांव या समीपवर्ती गांवों का समूह या उसका भाग शामिल हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है, जिसके क्षेत्र में लगभग सात हजार की आबादी हो:

बशर्ते कि जिला दंडाधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श के बाद, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी गांव या उसके भाग को शामिल या बहिष्कृत कर सकता है और ग्राम पंचायत का नाम बदल सकता है।

बशर्ते कि सरकार जिला दंडाधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर सात हजार से कम आबादी वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन/पुनर्गठन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।"

30. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकार ने ज्ञापन संख्या 758 दिनांक 03.02.2021 के माध्यम से 1991 की जनगणना के अनुसार 3000 से कम आबादी वाले गांव को निकटवर्ती ग्राम पंचायत में विलय करने की अधिसूचना जारी की।

31. उपरोक्त निर्णय राज्य भर की सभी ग्राम पंचायतों के संबंध में लिया गया है और यह केवल याचिकाकर्ता की ग्राम पंचायत के लिए निर्देशित नहीं है। इस प्रकार, राज्य सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। दिनांक 03.02.2021 की उक्त अधिसूचना के आलोक में और चूंकि 1991 की जनगणना के अनुसार महतवार गांव की जनसंख्या 3000 से कम हो गई थी, इसलिए इसे ग्राम पंचायत, लगमा में मिला दिया गया था।

32. याचिकाकर्ता का तर्क है कि 2011 की जनगणना की जनसंख्या सार्वजनिक डोमेन में होने के बावजूद, 1991 की जनगणना को ध्यान में रखा गया है, जिसका राज्य–प्रतिवादियों द्वारा कुशलतापूर्वक उत्तर दिया गया है कि 2021 की जनगणना प्रकाशित होने तक, उन्होंने 1991 की जनगणना की जनसंख्या को लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन वर्ष 1993–94 में किया गया था। इस प्रकार 2011 की जनगणना को लेने से राज्य भर में लगभग सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। इस प्रकार, उन्होंने सही तर्क दिया है कि यदि 2011 की जनगणना को ध्यान में रखा जाता है, तो राज्य में सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो जाएगा, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।

33. इसके अलावा, 'अधिनियम' की धारा 127 का प्रावधान स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को 2021 की जनगणना प्रकाशित होने तक 2011 की जनगणना को ध्यान में नहीं रखने की अनुमति देता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 03.02.2021 की अधिसूचना के अनुसार, यह आंकड़ा 3000 है।

34. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में प्रतिवादी संख्या 4, जिला दंडाधिकारी, दरभंगा ने 1991 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या 3000 से कम पाए जाने के बाद महतवार गांव को ग्राम पंचायत राज, लगमा में विलय करने का निर्णय लिया।

35. यह न्यायालय पुनः दोहराता है कि अधिसूचना संख्या 758 दिनांक 03.02.2021 जारी की गई है और यह पूरे राज्य पर लागू है। इसके अनुसार, 1991 की जनगणना के अनुसार 3000 से कम आबादी वाले गांव महतवार को गांव लगमा में शामिल किया गया है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों की ओर से किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है।

36. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय मानता है कि रिट याचिकाकर्ता के लिए मांगी गई राहत पूरी तरह से अस्वीकार करने योग्य है।

37. तदनुसार, आदेश दिया गया।

38. रिट याचिका खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

अदनान/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वियन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।